

संपत्ति प्रबन्ध कार्यालय

उत्तर प्रदेश आवास एवम विकास परिषद

पत्रांक

सं० प्र०

दिनांक :

प्रदेश पत्र/अनन्तित

पंजीकृत

सेवा में

संपत्ति के आवंटन हेतु अपने पंजीकरण सं०
दिनांक

का संदर्भ लें।
को लाट्री से आपको निम्नांकित संपत्ति का आवंटन किया गया है

शहर	शहर कोड
आरक्षण श्रेणी	आरक्षण कोड
योजना	योजना कोड
पंजीकरण योजना	पंजीकरण योजना कोड
भुगतान पद्धति	भुगतान पद्धति कोड
संपत्ति श्रेणी	संपत्ति श्रेणी कोड
संपत्ति संख्या	प्रोजेक्ट आई डी
भूखण्ड का क्षेत्रफल	फार्म संख्या
रु० प्रति वर्ग मी०	
(क) संपत्ति का मूल्य	(ख) अब तक जमा धनराशि
भूखण्ड का कुल मूल्य रु०	पंजीकरण धनराशि रु०
भूखण्ड का मूल्य (रु०	जमा धनराशि रु०
छूट के पश्चात)	
कार्पर भूखण्ड(रु०	कम/अधिक जमा (+)/(-) रु०
फ्रीहोल्ड शुल्क(रु०	ब्याज रु०
भवन निर्माण का मूल्य रु०	
स्टाफ छूट (रु०	
योग रु०	योग रु०
शेष देय रु०	
(ग) देय धनराशि	(घ)विविध शुल्क
नकद / आधा नकद /एक मुश्त देय रु०	फ्रीहोल्ड पुस्तिका रु०
कम/अधिक जमा (+)/(-) रु०	गिराफान शुल्क रु०
योग रु०	विलेख निष्पादन /विलेख विलेख शुल्क रु०
किश्तों की गणना हेतु अवशेष धनराशि रु०	सीवर /जल संयोजन शुल्क रु०
प्रतिशत ब्याज सहित	अग्रिम जल मूल्य रु०
	साईट प्लान शुल्क रु०
	योग रु०

आपको किश्त रु० से देय है।

जमा करनी होगी। प्रथम किश्त दिनांक

नोट-

(१) किसी भी देय धनराशि के विलम्ब से भुगतान करने पर

प्रतिशत की दर से अतिरिक्त ब्याज देय होगा।

(२) न्यायालय के आदेश से अथवा अन्य किन्ही कारणों से उक्त मूल्य में परिवर्तन करना पडा तो तदनुसार आपको भुगतान करना होगा।

उपरोक्त विवरण के अंश (ग) में अंकित धनराशि एवं प्रथम किश्त धनराशि

में परिषद के खाता संख्या CA तथा (घ) की धनराशि

में परिषद के खाता संख्या CA में दिनांक

तक अवश्य जमा करनी होगी। सामान्य आवासीय सम्पत्ति के

आवंटी उक्त वांछित धनराशि जमा न करके इस पत्र के निर्गत होने की तिथि से तीन माह के अन्दर आवन्टन तथा प्रदेशन निरस्त कराने की प्रार्थना

करता है तो पंजीकरण धनराशि रु० का प्रतिशत जम्ब करते हुये आवंटन तथा प्रदेशन निरस्त कर दिया जायेगा।

तीन माह के पश्चात आवंटन के अनुरोध पर अथवा अदेयता की स्थिति में निरस्तीकरण होने पर पंजीकरण धनराशि रु० के

प्रतिशत की दर से कटोती करते हुये उनका पंजीकरण तथा प्रदेशन निरस्त कर दिया जायेगा एवम आवन्टित संपत्ति अन्य को आवन्टित कर दी जायेगी।

नकद क्रय पद्धति पर आवंटित सम्पत्ति के कुल मूल्य के विरुद्ध देय सम्पूर्ण धनराशि पर इस पत्र की तिथि से एक माह (३० दिन) के अन्दर भुगतान

करने पर भूखण्ड एवम भवन के कुल मूल्य पर क्रमशः एक प्रतिशत / दो प्रतिशत की छूट दी जायेगी। एक माह के अन्दर भुगतान करने की स्थिति

में आवन्टी इस छूट को स्वयं समायोजित करते हुये अवशेष धनराशि जमा कर सकता है। डाक विलम्ब हेतु परिषद उत्तरदायी नहीं होगा। उक्त भवन/

भूखण्ड को किसी भी ऋण देने वाली संस्था के पक्ष में बंधक रखने में उ० प्र० आवास एवम विकास परिषद को कोई आपत्ति नहीं है।

शुभकामनाओं सहित

कृते आवास आयुक्त

संपत्ति प्रबन्ध कार्यालय

उत्तर प्रदेश आवास एवम विकास परिषद

आवश्यक निर्देश:-

- धनराशि/औपचारिकताएं दिनांक तक जमा न होने की दशा में रू० प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क देय होगा।
- अंश (ग) में अंकित धनराशि नियत तिथि तक जमा न होने की दशा में दिनांक से दो माह तक प्रतिशत की दर से अतिरिक्त ब्याज देय होगा।
- यदि पंजीकरण की पूर्ण धनराशि जमा नहीं की है तो पंजीकरण अंतर बयाना धनराशि का विलम्ब शुल्क रू० खाता संख्या में जमा करें।
- पंजीकरण सत्यापन की शर्त के अधीन जारी इस अन्तिम आवन्टन पर कब्जा पत्र पंजीकरण वैधता की पुष्टी के उपरांत ही जारी होगा।

आवंटी रा दिनांक

तक इस कार्यालय में जमा करने वाले प्रपत्रों की सूची

- प्रदिष्ट सम्पत्ति के निबंधन हेतु रू० का स्टैम्प पेपर, ४ नग पासपोर्ट साइज फोटो, ३ नग साइट प्लान फ्रीहोल्ड पुस्तिका में दिये गये प्रारूप के अनुसार टंकित कराकर प्रस्तुत करें।
- पंजीकरण प्रमाण पत्र मूल रूप में दाखिल करें।
- पंजीकरण हेतु जमा धनराशि की चालान की चतुर्थ प्रति मूल रूप में जमा करें।
- रू० १००.०० के एक सादा नान जुडिशियल स्टैम्प पेपर प्रस्तुत करें।
- राजपत्रित अधिकारी से अपने नाम, पते सहित प्रमाणित हस्ताक्षर एवं फोटोग्राफ की दो प्रति प्रस्तुत करें।
- निम्नलिखित प्रारूप में रू० १०.०० के नान जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर मैजिस्ट्रेट /सब जज /नोटरी से प्रमाणित शपथ पत्र प्रस्तुत करें।

नोट-

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद भूखण्डों तथा भवनों के पंजीकरण एवं आवन्टन सम्बन्धी विनियम - १९७९, (यथा संशोधित जून, १९८६, मूल्य रू० १०.००) विक्रय हेतु समस्त संपत्ति प्रबन्ध कार्यालयों में एवं प्रचार अनुभाग उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, १०४ महात्मा गांधी मार्ग लखनऊ में उपलब्ध है।

ऋणदात्री संस्थाओं के नाम :

- उ० प्र० आवास संघ लि०
- एच० डी० एफ० सी०
- भारतीय जीवन बीमा निगम
- पंजाब नेशनल बैंक
- सिडिकेट बैंक

शपथ पत्र का प्रारूप

मैं (नाम पुत्र/पुत्री उम्र निवासी)
निम्न प्रकार शपथ पूर्वक कहता/ कहती हूँ।
१. मेरे/मेरी पत्नी/पति अथवा अवयस्क बच्चों के नाम कोई भूखण्ड /भवन पूर्णतया: या अंशतः नगर में नहीं है और उ० प्र० के किसी अन्य नगर में एक से अधिक आवासीय भूखण्ड / भवन नहीं है।
२. मेरे/मेरी पत्नी/पति अथवा अवयस्क बच्चों के पास नगर भूमि सीमारोपण अधिनियम १९७६ में निर्धारित सम्पत्ति से अधिक नहीं है और न होगी।
३. मैं तथा मेरी/मेरे पत्नी/पति अथवा अवयस्क बच्चों द्वारा उ० प्र० नगरीय सीमा में केवल एक भवन /भूखण्ड के प्रदर्शन हेतु आवेदन करता / करती हूँ।
४. मेरी समस्त स्रोतों से रजिस्ट्रेशन से पूर्व वित्तीय वर्ष की वार्षिक आय जिसमे मेरी/पति या अन्य आश्रित सम्बन्धी एवं अवयस्क बच्चे सम्मिलित हैं कुल रु० से अधिक नहीं थी।
मैं (नाम) घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त अनुच्छेद १ से ४ तक वर्णित तथा मेरी जानकारी मे सही हैं और कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

स्थान
दिनांक

प्रमाणित
मैजिस्ट्रेट / सब जज / नोटरी

शपथी

राजपत्रित अधिकारी रा प्रमाणित किये जाने वाले फोटोग्राफ का प्रारूप

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु० निवासी प्रमाणित किये जाते हैं :-

पुत्र/पत्नी/पुत्री को मैं भलीभाँति जानता हूँ। इनके हस्ताक्षर एवं फोटो मेरे रा नीचे

१-

२-

(प्रमाणित करने वाले राजपत्रित अधिकारी के हस्ताक्षर नाम व पता की मोहर)